अफीम कृषकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सभी हितग्राही अफीम कृषकों का ध्यान अफीम नीति फसल वर्ष 2016–17 के पैरा 2 क (ii) की ओर आकर्षित किया जा रहा है। जिसके अनुसार ऐसे अफीम कृषकों जिनके अफीम कास्त लाइसेंस जिन्हें फसल वर्ष 2004–05 या उसके बाद के वर्षो में निरस्त किया गया हो, अन्य सामान्य शर्तो के अधीन फसल वर्ष 2016–17 में अफीम कास्त लाइसेंस हेतु पात्र है। ऐसे सभी पात्र कृषकों की सूची शीघ्र ही केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की शासकीय वेवसाइट www.cbn.nic.in पर अपलोड की जा रही है तथा इसकी एक प्रति संबंधित पात्र कृषकों के गांव में भी लाइसेंस वितरण हेतु आवेदन–पत्रो सहित प्रेषित की जा रही है।

अगर किसी कृषक का उक्त पात्रता सूची में नाम नही है परन्तु यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह पात्र है, तो वह नीचे उल्लेखित प्रपत्र में अपनी जानकारी भरकर संबंधित जिला अधिकारी के पास केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की शासकीय वेवसाइट www.cbn.nic.in में पात्रता सूची प्रकाशित होने के 8 दिवस के अन्दर अपना आवेदन लगा सकता है। वह चाहे तो आवेदन संबंधित जिला अफीम अधिकारी के पास या उसके नीचे दिये गये ई–मेल पते पर भेज सकता है। अगर कोई कृषक, उसके आवेदन के अनुसार पात्र पाया जाता है तो उसे फसल वर्ष 2016–17 के लिए अफीम कास्त का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

अगर कोई कृषक प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का आवेदन देता है या प्रारूप में वांछित सूचना पूर्ण नही है तो उनका आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	ई–मेल आई डी
	राजस्थान इकाई	
1.	जिला अफीम अधिकारी, कोटा	Doo-kota@cbn.nic.in
2.	जिला अफीम अधिकारी, भीलवाडा	Doo-bhilwara@cbn.nic.in
3.	जिला अफीम अधिकारी, चितौडगढ प्रथम खण्ड	Doo-chittorgarh1@cbn.nic.in
4.	जिला अफीम अधिकारी, चितौडगढ तृतीय खण्ड	Doo-chittorgarh3@cbn.nic.in
5.	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ	Doo-pratapgarh@cbn.nic.in
6.	जिला अफीम अधिकारी, झालावाड	Doo-jhalawar@cbn.nic.in
	मध्यप्रदेश इकाई	
7.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम खण्ड	Doo-neemuch1@cbn.nic.in
8.	जिला अफीम अधिकारी, नीमच द्वितीय खण्ड	Doo-neemuch2@cbn.nic.in
9.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर प्रथम खण्ड	Doo-mandsaur1@cbn.nic.in
10.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर द्वितीय खण्ड	Doo-mandsaur2@cbn.nic.in
11.	जिला अफीम अधिकारी, मंदसौर तृतीय खण्ड	Doo-mandsaur3@cbn.nic.in
12.	जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खण्ड	Doo-jaora1@cbn.nic.in
13.	जिला अफीम अधिकारी, जावरा द्वितीय खण्ड	Doo-jaora2@cbn.nic.in
14.	जिला अफीम अधिकारी, गरोठ	Doo-garoth@cbn.nic.in
	उत्तरप्रदेश इकाई	
15.	जिला अफीम अधिकारी, बाराबंकी	Doo-barabanki@cbn.nic.in

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक नाम/पिता का नाम
2. ग्राम, तहसील एवं जिला
3. उक्त आवेदन स्वयं के पूर्ववर्ती अफीम कास्त लाइसेंस हेतु है या पूर्ववर्ती अफीम कास्तधारी की मृत्यु होने के कारण वारिस के तौर पर है।

A-(i) अगर पूर्ववर्ती स्वयं के अफीम कास्त लाइसेंस के लिए है तो विभागीय रिकार्ड के अनुसार कृषक का नाम (इस संबंध में वह विभाग द्वारा प्रकाशित अफीम कास्त के डाटा जो कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की शासकीय वेवसाइट www.cbn.nic.in से मदद ले सकते है)

(ii) यूनिक कोड संख्या (अंतिम अफीम खेती करने वाले वर्ष का)

(iii) डी–लाइसेंस होने का फसल वर्ष।

(iv) अंतिम अफीम खेती करने का वर्ष।

(v) डी–लाइसेंस होने के पूर्व पिछले 5 लगातार वर्षो में दी गई अफीम की औसत का विवरण।

अफीम खेती का फसल वर्ष	तहसील	ग्राम	दी गई अफीम का औसत (उपज प्रति हेक्टयर)

B-(i) यदि वारिस के रूप में आवेदन कर रहा है तो अफीम कास्त करने वाले कृषक का नाम

(ii) यूनिक कोड संख्या (अंतिम अफीम खेती करने वाले वर्ष का)

(iii) डी–लाइसेंस होने का फसल वर्ष तथा उपज औसत।

(iv) अंतिम अफीम खेती करने का वर्ष तथा उपज औसत।

(v) डी–लाइसेंस होने के पूर्व पिछले 5 लगातार वर्षो में दी गई अफीम की औसत का विवरण।

अफीम खेती का फसल वर्ष	तहसील	ग्राम	दी गई अफीम का औसत (उपज प्रति हेक्टयर)

(vi) कृषक की मृत्यु दिनांक

(vii) वारिसों की संख्या व उनके नाम।

(1) संबंधित कृषक/वारिस लाइसेंस निरस्त होने के वर्ष से पूर्व के 5 वर्षो में उनके द्वारा दिये गये अफीम का औसत उपज केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की शासकीय वेवसाइट www.cbn.nic.in से डाउन लोड कर सकते है।

(2) फसल वर्ष 2004–05 से पूर्व अफीम कास्त लाइसेंस निरस्त होने वाले कृषक आवेदन हेतु पात्र नही है।

(3) यदि किसी कृषक का फसल वर्ष 2004–05 या उसके बाद के वर्षो में घटिया/मिलावटी अफीम देने/विभागीय नियमों का उल्लखन करने, एन डी पी एस एक्ट 1985 के तहत् माननीय न्यायालय में आरोपित किये जाने के कारण लाइसेंस निरस्त किया गया हो, तो वे अफीम कृषक लाइसेंस के पात्र नही है।

(4) ऐसे कृषक भी लाइसेंस हेतु पात्र नही होगें जिन्होने डी–लाइसेंस होने के पूर्व फसल वर्ष 1997–98 के पश्चात न्यूनतम 5 वर्ष के लिए अफीम जमा न करवायी हो।

(5) पॉच वर्षो में वे वर्ष शामिल नहीं होगें जिन वर्षो में कृषक ने अपनी सम्पूर्ण अफीम फसल नष्ट करवाने या नहीं बोने के कारण विभाग को अफीम न जमा करवाई हो।

(6) अफीम नीति फसल वर्ष 2016–17 के विस्तृत विवरण के लिए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की शासकीय वेवसाइट www.cbn.nic.in पर देखी जा सकती है।